GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 218

ANSWERED ON MONDAY, 20 JULY, 2026/ ASHADHA 29, 1948 (SAKA)

Unified Pension Scheme

218. SHRI HASMUKHBHAI SOMABHAI PATEL

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the total number of retired Central Government subscribers eligible to claim additional benefits under the Unified Pension Scheme (UPS);
(b) the number of claims received and processed so far under the UPS since its introduction;
(c) whether the Government has plans to extend similar benefits to other pension schemes or sectors in the near future; and
(d) if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR FINANCE
(SHRI PANKAJ CHAUDHARY)

(a) There are 25,756 retired Central Government subscribers eligible to receive additional benefits under Unified Pension Scheme (UPS).

(b) As on 9th July, 2026, 12,258 claims have been received and out of which 9,823 claims have been processed for payment of benefits under UPS.

(c) & (d) UPS has been introduced as an option under National Pension System (NPS) for the employees of Central Government who are covered under the NPS. There is no proposal under consideration to extend such benefits to other pension schemes or sectors.

****

www.govtstaff.com

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 218

जिसका उत्तर सोमवार, 20 जुलाई, 2026/29 आषाढ़, 1948 (शक) को दिया गया

एकीकृत पेंशन योजना

218. श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एकीकृत पेंशन योजना (यू.पी.एस.) के अंतर्गत अतिरिक्त लाभों का दावा करने के लिए पात्र सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकार के अभिदाताओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) यूपीएस के लागू होने से लेकर अब तक कितने दावे प्राप्त हुए हैं और कितनों पर कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार की निकट भविष्य में अन्य पेंशन योजनाओं या क्षेत्रों को भी इसी प्रकार के लाभ प्रदान करने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के 25,756 सेवानिवृत्त अभिदाता अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

(ख) 9 जुलाई, 2026 तक, 12,258 दावे प्राप्त हुए हैं और जिनमें से 9,823 दावों पर यूपीएस के अंतर्गत लाभों के भुगतान के लिए कार्रवाई की गई है।

(ग) एवं (घ) यूपीएस को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए शुरु किया गया है जो एनपीएस के अधीन कवर हैं। अन्य पेंशन योजनाओं या क्षेत्रों में ऐसे लाभ प्रदान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

****

www.govtstaff.com